

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

भंवर प्रसाद (स्वर्गीय) एवं अन्य

बनाम

जंगली देवी (स्वर्गीय) एवं अन्य

प्रथम अपील सं. 408/1973

(के साथ आवेदन सं. 4138/2018 एवं आवेदन सं. 24/2021)

18 जनवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एक बंटवारा वाद से उत्पन्न प्रथम अपील, कई अपीलकर्ताओं एवं प्रतिवादियों के निधन के पश्चात विधि द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिस्थापन न होने के कारण अपीलमृत हो गई, तथा क्या ऐसी देरी विधिक रूप से क्षम्य हो सकती है?

हेडनोट्स

मूल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारों का निर्णयन नहीं हुआ। एक बार जब विधि अस्तित्व में है — जैसा कि वर्तमान मामले में सीमाबद्धता का कानून है — और मृत व्यक्ति/पक्षकार के प्रतिस्थापन की अवधि 90 दिन निर्धारित है, तब कई पक्षकारों का वर्षों तक प्रतिस्थापित न किया जाना, जिनमें अधिकतम अवधि 20 वर्ष रही, इस न्यायालय को अवसान में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं करता। (पैरा 8)

वाद संपत्ति में हिस्सेदारी रखने वाले इतने अधिक व्यक्तियों की अनुपस्थिति, जो अपील में पक्षकार नहीं हैं, ने पूरी अपील को आगे विचारणीय बनाए रखने में अयोग्य बना दिया है। (पैरा 9)

अंतरिम आवेदन संख्या 4138/2018 और 24/2021 स्वीकृत किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, प्रथम अपील स्वयं ही अवसानित घोषित की जाती है। (पैरा 10)

न्याय दृष्टान्त

मज्जी सन्नेम्मा उपनाम सन्यासीराव बनाम रेड्डी सिरदेवी एवं अन्य, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1260

बुध राम बनाम बंसी, (2010) 11 एस.सी.सी. 476

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (आदेश XXII, नियम 9); सीमिती अधिनियम, 1963 (धारा 5, 21)

मुख्य शब्दों की सूची

अपीलमृत; पक्षकारों का प्रतिस्थापन; बंटवारा वाद; सीमिती; देरी की क्षमादान; अविभाज्य डिक्री; अंतरवर्ती आवेदन

प्रकरण से उत्पन्न

सारण जिले की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा वाद के निर्णय एवं डिक्री से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री प्रभु नारायण शर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री अशोक कुमार एवं श्री सुशील कुमार ओझा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

1973 का प्रथम आवेदन सं. 408

(के साथ 2018 का अंतर्वर्ती आवेदन सं. 4138 एवं 2021 का अंतर्वर्ती आवेदन सं. 24)

=====

भवर प्रसाद (मृत होने के बाद से)

1 (i) मृत है और उसके उत्तराधिकारी पहले से ही (आर-॥ से 11) के रूप में दर्ज हैं।

(ii) जानकी देवी, पिता-स्वर्गीय भावर प्रसाद, पति-सत्य नारायण प्रसाद, निवासी-करीम चक, डाकघर और थाना-दानापुर, जिला पटना।

(iii) हैप्सन प्रसाद, पिता-श्री देव सारण प्रसाद, पिता-मृत, पिता-(लाखी देवी), निवासी-फतनपुर, डाकघर और थाना गरखा, जिला-छपरा।

(iv) कालिका देवी, पति-श्री रामनाथ प्रसाद, पिता-पूर्व मृत, माता-लाखी देवी, निवासी- गाँव और डाकघर सुबेरना, हरारी, थाना-अवतार नगर, जिला-छपरा।

4 (i) लालझंडी देवी, पति-मृत नारद प्रसाद।

4 (ii) राधिका देवी, पिता-मृत नारद प्रसाद, पति-राम सनेही प्रसाद और उनके एक उत्तराधिकारी पहले से ही गाँव के ए-10 के रूप में दर्ज हैं निवासी-डाकघर और गाँव-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-सारण

5 (i) मोस्मात राम सखी कुअर, पति- रामेश्वर प्रसाद

5 (ii) भूषण प्रसाद, पिता-रामेश्वर प्रसाद, निवासी-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-सारण

5. (iii) (ए) मोस्मात मुन्नी कुमार, पति-मृत मोहन प्रसाद

5. (iii) (बी) आमोद कुमार, पिता-मृत मोहन प्रसाद। दोनों निवासी-गाँव और डाकघर-सिल्हौरी, थाना- मरहौरा, जिला-छपरा

5. (iii) (सी) श्रीमती गीता देवी, पिता-मृत मोलू प्रसाद, पति-श्री अनुज राय, निवासी-गाँव-गढ़ारा, सरिया, डाकघर-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला छपरा।

- 5 (v) मंजू देवी पति- बीरेंद्र प्रसाद, निवासी-भहूरहैया, डाकघर-काउई, जिला-छपरा।
- 5 (vi) पुष्पा देवी, पति-मनोज प्रसाद, निवासी-भहूरहैया, उप डाकघर-सरिया, थाना-मरहौरा, जिला-छपरा।
- 5 (iv) नीना देवी, पति-अवधेश प्रसाद, निवासी-भहूरहैया, थाना-परसा, डाकघर-पौरुथी, जिला-छपरा।
- 6 (i) सुशीला देवी, पति-अभिमन्यु प्रसाद
- 6 (ii) अभिषेक कुमार, पुत्र।
- 6 (iii) अश्विनी कुमार, पुत्र
- 6 (iv) अमित कुमार, पुत्र।
- 6 (v) बीना रानी, पुत्री पति-तारकेश्वर प्रसाद
सभी निवासी- गाँव-सिल्हौरी, थाना मरहवा, जिला-सारण(छपरा)।
7. सुरेंद्र प्रसाद, पिता-असरफी प्रसाद, निवासी- गाँव और डाकघर-गाँव-सिल्हौरी, थाना मरहवा, जिला-सारण।
8. उमेश कुमार, पिता-असरफी प्रसाद, निवासी-गाँव और डाकघर-सिल्हौरी, थाना-मरहवा, जिला-सारण
- 9 (i) मोस्मात कौशल्या देवी, पति- स्वर्गीय विजय कुमार
- 9 (ii) धनेश्वर प्रसाद, पति-विजय कुमार
- 9 (iii) पूनम कुमारी, पिता-विजय कुमार।
- 9 (iv) पुष्प कुमारी, पिता-मृत विजय कुमार।
सभी निवासी-गाँव और डाकघर-सिल्हौरी, थाना मरहवा, जिला-सारण
10. प्रहलाद प्रसाद, पिता-नरेश प्रसाद, निवासी-गाँव और थाना सिल्हौरी, थाना मरहवा, जिला-सारण

अपीलार्थी/ओं

बनाम

जांगली देवी (मृत होने के बाद से)

1 (ए) (i) राजा प्रसाद, पत्नी-जंगली देवी

1 (ए) (ii) राजबंशी राय, माता-स्वर्गीय जंगली देवी

1 (ए) (iii) यदूबंशी राय, माता- जंगली देवी

1 (ए) (iv) मल्हारी देवी, पति- जगत प्रसाद राय

1 (ए) (v) सरिता देवी, पति- रमेश नारायण सिंह

1 (ए) (vi) कालिका देवी, पति- अशोक कुमार

स्वर्गीय जंगली देवी की सभी पुत्रियाँ

1 (ए) (vii) हरेंद्र प्रसाद राय, पिता- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राय

1 (ए) (viii) नार्गेन्द्र कुमार राय, पिता- राजेंद्र प्रसाद राय।

1 (ए) (ix) धर्मेन्द्र राय, पिता- राजेंद्र प्रसाद राय। स्वर्गीय जांगली देवी के सभी पोते हैं।

1 (ए) (x) उषा कुमारी, पिता-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राय।

1 (ए) (xi) आशा कुमारी, पिता- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राय। स्वर्गीय जांगली देवी की सभी पोती हैं। (क्र. सं. 1 (ए) (i) से 1 (ए) (iii) और 1 (ए) (vii) से 1 (ए) (xi) निवासी-धूप नगर, गांव थाना और डाकघर जलालपुर, जिला सारण

क्र. सं. 1 (ए) (iv) निवासी-बलूह गांव थाना और डाकघर-छापरा सदर, जिला-सारण क्र.

सं. 1 (ए) (v) गांव-भैंसमारा, थाना और डाकघर गरखा, जिला-सारण

क्र. सं. 1 (ए) (vi) गांव का निवासी।-ढोलही, थाना और डाकघर अमौर, जिला-सारण

2.(i) मोस्मात बेसरी देवी, पति- रामदेव प्रसाद, निवासी- गाँव,डाकघर-सिल्हौरी, थाना मरहरा, जिला-सारण

2 (ii) (ऐ) मोस्मात बेदमिया कुअर, पति-स्वर्गीय शिबपुजन प्रसाद

2 (2) (बी) गिरिजा प्रसाद यादव, पिता-स्वर्गीय शिबपूजन प्रसाद

2 (ii) (c) अवधेश प्रसाद यादव, पिता-स्वर्गीय शिबपूजन प्रसाद

2 (ii) (डी) सीता देवी, पति-जय प्रकाश राय

2 (ii) (ई) उमरावली देवी, पति-अजय राय

2 (ii) (एफ) रंजा देवी, पति-रवींद्र राय

सभी निवासी सं. (डी), (ई) और (एफ) मृत शिबपूजन प्रसाद की बेटी हैं और सभी निवासी-गाँव और डाकघर सिल्हौरी, थाना मरहरवा, जिला-छपरा।

2 (iii) बिक्रम प्रसाद, पिता-मृत रामदेव प्रसाद

2(iv) केदार प्रसाद, पिता-मृत रामदेव प्रसाद आर. (वी) श्रीमती शांति देवी, पति- महांत प्रसाद, गाँव-चांदचक, डाकघर-अफार, थाना-अमनौर, जिला-सारण

आर (vi) चिंता देवी, पति-राधा किशोर प्रसाद, गाँव-सरधा, डाकघर-दहिवाह, थाना-मुफ्फसिल, छापरा, जिला-सारण

आर (vii) श्रीमती चंपा देवी, पति-श्री जगदीश प्रसाद, गाँव-चिनार, डाकघर-डोरीगंज, जिला-सारण

उत्तरदाता सं.बर 3(i) मर चुका है और उसके उत्तराधिकारी पहले से ही उत्तरदाता प्रथम पक्ष के रूप में उत्तरदाता सं. 23, 24 और 25 के रूप में दर्ज हैं।

4(ए) कैलसिया देवी, पति- बृज मोहन प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम प्रसादी, डाकघर और थाना-परसा, जिला-सारण (छपरा)

आर-9 से 12 पहले से ही अभिलेख पर है।

6-रामचरित प्रसाद।

7(ए) प्रह्लाद प्रसाद

(बी) महेश प्रसाद

(सी) रमेश प्रसाद

स्वर्गीय सुचित प्रसाद के सभी पुत्र

(डी) बिद्या देवी

(इ) दीपक देवी

(एफ) संगीता देवी। स्वर्गीय सुचित प्रसाद के सभी पुत्री

(जी) मेनिया कुअर, पति-स्वर्गीय सुचित प्रसाद का पता प्रतिस्थापन याचिका में नहीं दिया गया है।

8(i) मोस्मात रामदेव देवी, पति-स्वर्गीय जलेश्वर प्रसाद

(ii) सं.द कुमार

(iii) बीरेंद्र कुमार

(iv) जितेंद्र कुमार

(v) सतेंद्र कुमार। स्वर्गीय जलेश्वर प्रसाद के सभी पुत्र, गाँव और डाकघर-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-सारण

10 जयमंगल प्रसाद

11. कन्हैया प्रसाद

12. उमा शंकर प्रसाद

हरि प्रसाद के सभी पुत्र

13. पारस प्रसाद

14. लाल बाबू प्रसाद

शिवंदन प्रसाद के सभी पुत्र

15. रामजी प्रसाद

16. लक्ष्मण प्रसाद

17. लाला प्रसाद।

रामचरित प्रसाद के सभी पुत्र

18. प्रह्लाद प्रसाद

19. महेश प्रसाद

20 रमेश प्रसाद

सुचित प्रसाद के सभी पुत्र

21. नंद प्रसाद पिता-जालेश्वर प्रसाद

22. श्योपुजन प्रसाद पिता-राम दवन प्रसाद

23. बिक्रम प्रसाद

24. केदार प्रसाद

राम दवन प्रसाद के पुत्र,

25. गिरिजा प्रसाद, पिता-श्योपुजन प्रसाद निवासी-गाँव और डाकघर-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-सारण।

उत्तरदाता प्रथम पक्ष

26. (ए) एम. पी. यादव, निवासी-बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर-1218, क्वार्टर सं. 3367, थाना और जिला-बोकारो।

(बी) राम लाल प्रसाद यादव-कार्यशाला बी.सी.सी.एल., धनबाद

(सी) एस.पी. यादव-उपखंड अधिकारी, पी.एच.ई.डी., पी.एम.सी.एच.

के पास, जिला-पटना

(डी) कामेश्वर प्रसाद-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-छपरा

(ई) चिरैया देवी पति-सुनार रॉय, निवासी- लगानपुरा गाँव, थाना-बेल्दी, जिला-छपरा

(एफ) लाही देवी, पति-रामेश्वर प्रसाद यादव, निवासी-गाँव मधुरपुर, थाना-मरहौरा, बिहार

27 (का) (ए) धसं.जय प्रसाद

(ख) जयमंगल प्रसाद। दोनों मृत के पुत्र हैं

27 (का) (सी) श्रीमती सोना देवी, पति-लक्ष्मण प्रसाद

श्रीमती. पन्ना देवी पति-सुदामा प्रसाद

(ई) घुलर देवी, पति-जमादार प्रसाद।

27(का) (i) रतिया देवी, पति-जमुना देवी, निवासी-ग्राम-गोरखा, जिला-सारण

(ii) चिंता देवी, पति-श्री जवाहिर राय, निवासी-गाँव मोहन डाकघर और थाना-मरहौरा, जिला-सारण

(iii) राजमतिया देवी, पति-शिवदयाल राय, निवासी-गाँव बलदोरी, डाकघर और थाना-मांझी, जिला-सारण

(iv) चिट्टू कुमारी

(v) मंजू कुमारी, दोनों नवल राय की पुत्री हैं। निवासी-खगरी, थाना-जलालपुर, जिला-सारण

28 (ए) शंकर राय, पिता-स्वर्गीय रामप्रीत, निवासी-गाँव सिल्हौरी, थाना मरहौरा, जिला-छपरा

29 (ए) तिलेश्वरी देवी, पति-स्वर्गीय रामदेव राय

(बी) उमा राय

(सी) राधा राय। दोनों स्वर्गीय रामदेव राय के पुत्र। निवासी-सिल्हौरी, डाकघर और थाना-मरहौरा, जिला-सारण

(डी) कलावती देवी, पति-अंबिका राय, निवासी-गाँव पोखन, डाकघर और थाना मरहौरा, जिला-सारण

(ई) मंजू देवी, पति-जितेंद्र राय, निवासी-गावड़ा, डाकघर और थाना मरहौरा जिला-सारण

30(ए)(i)(ए) सुशीला देवी, पति-स्वर्गीय दारोगा राय

(ए)(i)(बी) सिकंदर प्रसाद, पिता-स्वर्गीय दारोगा राय

(सी) बिरजू कुमार

(डी) रविशंकर

(ई) मुन्नी कुमारी

(एफ) सोनी कुमारी। स्वर्गीय दारोगा राय के सभी बेटे और बेटी, निवासी-गाँव सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-छपरा

30 (ए) (ii) पुलिश राय पिता-स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद, निवासी-गाँव-सिल्हौरी, थाना मरहौरा, जिला-छपरा

(ए) (iii) सीता देवी, पति-रामेश्वर राय, निवासी-ग्राम दयापुर, थाना माधोपुर, थाना मरहौरा, जिला छपरा।

(ए) (iv) गीता देवी, पति-पंचम राय, निवासी-गाँव चन्ना, डाकघर-मिर्जापुर, थाना मरहौरा, जिला छपरा, दोनों स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद की बेटी।

30 (बी) (ए) प्रेम नारायण प्रसाद पिता-तेजबली प्रसाद

(ख) अनीता कुमारी

(c) लाल परी देवी

(डी) बबीता देवी

सभी स्वर्गीय तेजबली प्रसाद की बेटी, निवासी-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला सारण

30 (c) सुखन प्रसाद

(डी) झरोखा प्रसाद

(ई) लालक प्रसाद

(एफ) सानिचेरी देवी

(जी) फुलमती देवी

(एच) एतवारी देवी पिता-स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल

मोस्मात सुकवारी देवी पति-स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल

सभी निवासी-गाँव सिल्हौरी, थाना मरहौरा, जिला-सारण

31 (i) बाबूलाल राय

(ii) जग लाल राय। मृत के दोनों बेटे।

(iii) रतनी देवी, पति-मृत हुलेश्वर राय, गाँव और डाकघर और थाना-बेल्दी, जिला-सारण

(iv) बुटनी देवी, पिता-मृत, पति-कुलदिप राय, निवासी-गाँव मोबारकपुर, थाना-अमौर, जिला-सारण

(v) पटनिया देवी, पिता-मृत, पति-बलदेव राय, निवासी-गाँव जगदीशपुर, थाना-जलालपुर, जिला-सारण

(vi) देवरनिया देवी, पिता- मृत, पति- महेन्द्र राय, निवासी-गाँव असोइया, डाकघर-मिर्जापुर, थाना-मरहौरा, जिला-सारण

31 (vii) (ए) चंद्रेश्वर राय, निवासी-गाँव तेजपुर, डाकघर-खोदीबाग, थाना-जलालपुर, जिला-सारण

32 (i) मोस्मात देवपति कुअर, पति-मृत।

(ii) योगेंद्र राय

(iii) शिव कुमार राय

(iv) देव कुमार राय

(v) ओम प्रकाश राय

मृत के सभी पुत्र

सभी निवासी-गाँव और डाकघर-मनोरपुर सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला-सारण

32 (vi) श्रीमती पंढरी देवी, पति-श्री शंभा राय, पिता-मृत, निवासी-गाँव और डाकघर मनोरपुर, थाना-अमनौर, जिला-सारण ।

34. बुद्ध राम राय

35. रघुनाथ राय, पिता-लाल बिहारी प्रसाद, निवासी-डाकघर-सिल्हौरी, थाना-मरहौरा, जिला- सारण

दूसरा पक्ष

36. बिहार राज्य सारण के समाहर्ता, छापरा के माध्यम से ।

37. श्री खेदन प्रसाद उच्च विद्यालय, श्री हरि प्रसाद (प्रतिवादी सं. 4) के माध्यम से, श्री खेदन प्रसाद उच्च विद्यालय के सचिव, ग्राम-सिल्हौरी, थाना मरहरा, जिला सारण।

..... उत्तरवादी/ओं

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री प्रभु नारायण शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 9 और 19 के लिए : श्री अशोक कुमार और
श्री सुशील कुमार ओझा, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 18-01-2023

श्री प्रभु नारायण शर्मा, अपीलार्थियों के विद्वान वकील और श्री अशोक कुमार, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील सं. 9 और 19. को सुना।

2. यह मामला अपीलार्थियों या उत्तरदाताओं की ओर से दायर विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए सामने आ रहा है।

3. आरंभ में, न्यायालय यह इंगित करेगा कि प्रतिवादी सं. 9 की ओर से दायर 2018 के अंतर्वर्ती आवेदन सं. 4138 और 2021 के अंतर्वर्ती आवेदन सं. 24 को पहले इस कारण से लिया गया है कि उक्त अंतर्वर्ती आवेदनों में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी सं. 8(i), 8(iii), 9, 23, 24, 29(c), 33 और 34 की मृत्यु के कारण प्रथम अपील को समाप्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं. 4138/2018 और प्रतिवादी सं.

11, 26, 30(d), 32(ii) के अनुसार, साथ ही अपीलकर्ता सं. 9 और 11 की मृत्यु के कारण भ 2021 के अंतर्वर्ती आवेदन सं. 24।

4. प्रतिवादी संख्या 9 और 19 के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त अंतर्वर्ती आवेदनों पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त प्रतिवादियों की मृत्यु क्रमशः वर्ष 1999, 2010, 2006, 2016, 2005, 2016, 2010, 2015, 2021, 2017, 2020 और 2020 में हुई, जबकि अपीलकर्ता संख्या 9 और 11 की भी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब उन्हें तारीख ज्ञात नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 8(i), 8(iii), 9, 23, 24, 29(c), 33 और 34 के स्थान पर 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 16 दिनांक 06.02.2019 को दायर किया गया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 11, 26 और 30(d) के स्थान पर 2021 का अंतर्वर्ती आवेदन सं. 22 दायर किया गया है और प्रतिवादी संख्या 30(d) और 32(ii) के संबंध में 2021 का अंतर्वर्ती आवेदन सं. 20 दायर किया गया है, जबकि प्रतिवादी सं. 26 और अपीलकर्ता सं. 9 और 11 के संबंध में कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।

6. विद्वान वकील ने दलील दी कि देरी एक साल से लेकर 20 साल तक की है और इस प्रकार, यह अपीलकर्ताओं की ओर से अपील को आगे बढ़ाने में पूर्ण लापरवाही को दर्शाता है और यह जानबूझकर की गई देरी और लापरवाही से ग्रस्त है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस विलंब के लिए क्षमादान हेतु दायर किए गए अंतरिम आवेदनों में भी कोई वैध कारण नहीं दर्शाया गया है क्योंकि विलंब की व्याख्या भी नहीं की गई है जैसा कि पूरी अवधि के लिए आवश्यक है और केवल एक अस्पष्ट बयान दिया गया है कि ऐसी मृत्यु अपीलकर्ताओं की जानकारी में नहीं थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील एक विभाजन मुकदमे से उत्पन्न हुई है और पक्षकार स्वजातीय हैं, इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि दो दशकों की इतनी लंबी अवधि के दौरान, वे किसी भी

पक्षकार की मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ रहे होंगे, जो एक-दूसरे के निकट संबंधी हैं। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृत्यु होने के 90 दिनों के भीतर इस तरह के प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाली कानून, इतने वर्षों की देरी की अनुमति देने योग्य नहीं है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि अब तक, अपील अपने आप समाप्त हो गई है और प्रतिवादी सं. 26 और अपीलार्थी सं. 9 और 11 अभिलेख पर कोई याचिका नहीं होने के कारण, समग्र दृष्टिकोण से, पूरी अपील को समाप्त माना जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने **मज्जी सन्नेम्मा उर्फ संन्यासीराव बनाम रेड्डी सिरदेवी एवं अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1260**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया था कि देरी को क्षमा करने का विवेकाधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि पक्षकार पर लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी का आरोप लगाया जाता है, तो पर्याप्त कारण की उदारतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती है और इसके अलावा, भले ही यह किसी पक्षकार के अधिकारों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता हो, इसे संविधान द्वारा निर्धारित होने पर पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **बुध राम बनाम बंसी, (2010) सर्वोच्च न्यायालय के 11 मामलों में 476**, पर भी भरोसा रखा गया था ,प्रासंगिकता पैराग्राफ सं. 17 से 20 में है, इस प्रस्ताव के लिए कि एक प्रतिवादी की मृत्यु के कारण अपील का उपशमन अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध उपशमन का कारण बनेगा और भी अधिक, उन मामलों में जहाँ संयुक्त और अविभाज्य डिक्री है जैसा कि वर्तमान मामले में है, जहाँ विभाजन के मुकदमे में वास्तव में विभाजन होने तक सभी सह-हिस्सेदारों का संपूर्ण संपत्ति पर संयुक्त और अविभाज्य अधिकार होता है और इस प्रकार, इतने सारे पक्षकारों की अनुपस्थिति में, अपील को, लेकिन अनिवार्य रूप से, उपशमित करना होगा। इसके अलावा, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने यह भी माना है कि उपशमन

स्वचालित है और किसी भी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे एक औपचारिक आदेश द्वारा अलग रखा जाना चाहिए जो आज तक नहीं किया गया है। विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 24.11.1994 के आदेश की ओर आकर्षित किया जिसमें यह खुलासा किया गया है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 3(i) के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध अपील पहले ही समाप्त हो चुकी है और आगे यह कि दिनांक 12.02.2009 के आदेश से यह संकेत मिलता है कि अंतरिम आवेदन संख्या 193/2007 की प्रति नाबालिग प्रतिवादियों संख्या 11 से 21 और 23 से 25 के अभिभावक अधिवक्ता को देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था जो अनिवार्य था और अनुपालन न करने के कारण मृतक अपीलकर्ता संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 9 के संबंध में अपील अस्वीकृत कर दी गई।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय एक उदार दृष्टिकोण अपना सकता है क्योंकि यह एक विभाजन का मुकदमा है और पक्षों का अधिकार मौजूद है जिसे गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं होने के संबंध में अदालत के एक प्रश्न पर, विद्वान वकील कोई जवाब नहीं दे सके।

8. मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि मूल न्यायालय द्वारा एक निर्णय है और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारों पर निर्णय नहीं दिया गया है। एक बार जब कोई कानून लागू हो जाता है, जो वर्तमान मामले में सीमा का कानून है, और एक मृत व्यक्ति/पक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित अवधि 90 दिनों के भीतर होती है और कई पक्षों को एक साथ वर्षों के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, अधिकतम 20 साल, अदालत को यह नहीं लगता कि उसे उपशमन में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया गया है।

9. इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या पूरी अपील निरस्त हो जाएगी, यह स्पष्ट है कि विभाजन के मुकदमे में, जब तक डिक्री पारित नहीं हो जाती, पूरी संपत्ति में

अविभाज्य और अविभाज्य संयुक्तता होती है। इस प्रकार, इतने सारे व्यक्तियों की अनुपस्थिति, जिनका हिस्सा वाद संपत्ति के कोष में है, अपील में पक्षकार नहीं होने के कारण पूरी अपील स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने में अक्षम हो गई है। न्यायालय यह भी नोट करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मज्जी सन्नेम्मा उर्फ सन्यासीराव** (उपरोक्त) और **बुध राम** (उपरोक्त) के निर्णयों का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 9 और 19 के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क के पक्ष में लागू होता है।

10. तदनुसार, 2018 का अंतर्वर्ती आवेदन सं. 4138 और 2021 का 24 स्वीकृत हैं। नतीजतन, पहली अपील ही निरस्त होने के रूप में खारिज हो जाती है।

11. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि पहली अपील ही समाप्त हो गई है, सभी लंबित वार्ताकार आवेदन निष्फल हो गए हैं, उनका निपटारा कर दिया जाता है।

(अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति)

अंजनी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।